



MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY UDAIPUR

No.Affi/MLSU/2003/ 161

Date: 20.12.2004

ORDER

Pursuant to NOC issued by the State Govt. vide No.F.4 (23)Acctt./45 dated 9.7.2004 and on the recommendation of the University Inspection Committee, the Vice-Chancellor is pleased to grant temporary affiliation to R.N.T. College, Chittorgarh at U.G. level in Arts,(Economics, Geography, Pub. Admn., Hindi Litt., History, Philoshophy, Psychology, Sociology, Music, English Litt., Urdu, Home Science, Drawing and Painting), Commerce (A.B.S.T., E.A.F.M.and Bus. Admn.) and B.B.M. for the session 2004-05 with the following terms and conditions:-

1. The total intake capacity of admissions will be 60 seats in Ist Year Arts and Commerce and 40 seats in BBM.
2. Principal of the College and Faculty Teachers may be appointed as per the norms of the University.
3. Library has to be developed on proper lines. Books have to be added for better development of the students. The periodicals and Journals are also to be added..
4. Games and Sports facilities must be added.

REGISTRAR

Copy to :-

1. The OSD, Higher Education, Government of Rajasthan, Jaipur.
2. The Secretary, Diksha Creation's Society, Udaipur with reference to his proposal dated 22.7.04. It is requested to please send a compliance report on the points, mentioned above, at the earliest.
- ✓ 3. The Principal , R.N.T. College, Chittorgarh.
4. COE/AR (Exam/Sec.)
5. Meeting Section to report the orders in AC meeting.


 DY.REGISTRAR

कुल सचिव,
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय
उदयपुर।

6444
27/7/04
विद्यालय
22-7-04

Genie copy
to College
22/7/04

विषय- सत्र 2004-05 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने कावत

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं संस्था के द्वारा प्रस्तुत नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्देशानुसार नवीन महाविद्यालयों के लिए सत्र 2004-05 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर 2004-05 के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम व संमुख अंकित संकाय/विषय हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है -

क्र. सं.	स्पोन्सरिंग ट्रस्ट/ संस्था का नाम	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	संकाय/विषय
1	संयुक्त ज्ञान पीठ, उदयपुर-55	महावीर राष्ट्रीय महाविद्यालय, फतहगढ़ उदयपुर	स्नातक स्तर पर कला संकाय- अनिवार्य विषयों सहित- राजनीति शास्त्र, इतिहास, हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, अंग्रेजी एवं चित्रकला, गृह विज्ञान। स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय- अनिवार्य विषयों सहित- ए.बी.एस.टी. व्यवसायिक प्रशासन, ई.ए.एफ.एम., बी.बी.एम., बी.सी.ए., डी.सी.ए.। स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय- अनिवार्य विषयों सहित- वनस्पतिशास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र।
2	दीक्षा क्रियेशन्स सोसायटी, उदयपुर-26	रवीन्द्रनाथ टागोर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	स्नातक स्तर पर कला संकाय- अनिवार्य विषयों सहित- अर्थशास्त्र, भूगोल, लोक प्रशासन, हिन्दी साहित्य, इतिहास, दर्शनशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, समाजशास्त्र, संगीत, अंग्रेजी, उर्दू, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, चित्रकला स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय- अनिवार्य विषयों सहित, ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम., व्यवसाय प्रशासन, B.B.M.

- राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय संचालित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से 6 माह की अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप महाविद्यालय संचालन हेतु निर्माण करवा लेने / व्यवस्था करवा लेने एवं तदनुसार कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित कर इराका निरीक्षण करवा लेने।
- यदि संस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप भवन का निर्माण / व्यवस्था नहीं कर पाती है, तो राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वयं ही रद्द हो जायेगा एवं संस्था को इस निर्णय के विरुद्ध किसी भी रूप में न्यायालय में चुनौती देने का अधिकारी नहीं होगा।
- संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
- अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वाह्न की कक्षाएँ चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है।
- शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय वाध्य होंगे।
- छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी।
- राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा माहा गया अगितेज उपलब्ध करायेगा।
- ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है।
- स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षकों) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।
- संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जायेगा।
- संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।

19

16. उपरोक्त शर्तों के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के परचात् जारी किये गये अस्थायी अनापात्त प्रमाण-पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

भवदीय,

2-7-04
(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. जिला कलेक्टर, उदयपुर/चित्तौड़गढ़ ।
8. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय ।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
12. रक्षित पत्रावली ।

2-7-04
संयुक्त-निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

कार्यालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/विकास/प-28/1-1/2002/1/95/ दिनांक:- 29-7-2004

प्रतिलिपि :-

प्राचार्य, रवीन्द्रनाथ, देगोर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ को
पालनार्थ स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

प्रभारी अधिकारी,
विकास अनुभाग